बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

स०सं0–01/स्था० क्षे०–492/2025– **पटना, दिनांक– सितम्बर, 2025**

भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार ईख पर्यवेक्षक संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** ।:–

(i) यह नियमावली ''बिहार ईख पर्यवेक्षक संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2025''कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

2. **परिभाषा ।–जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो. इस नियमावली में–**

(i) 'राज्य' से अभिप्रेत है बिहार राज्य,

(ii) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;

(iii) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(iv) 'विभाग' से अभिप्रेत है बिहार सरकार का गन्ना उद्योग विभाग;

(v) ''बिहार ईख पर्यवेक्षक संवर्ग '' से अभिप्रेत है बिहार ईख पर्यवेक्षकों का संवर्ग;

(vi) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार ईख पर्यवेक्षक का संवर्ग,

(vii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(viii) 'सदस्य' से अभिप्रेत है बिहार ईख पर्यवेक्षक संवर्ग में नियुक्त होकर कार्यरत व्यक्ति;

(ix) 'नियुक्ति' 'प्राधिकार' से अभिप्रेत है ईखायुक्त, बिहार;

3. **संवर्ग नियंत्रण ।–** (i) यह एक राज्य स्तरीय सवर्ग होगा। गन्ना उद्योग विभाग इसका नियंत्री विभाग होगा।

(ii) इस संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगीः–

1	ईख पर्यवेक्षक	मूल पद	अराजपत्रित

(iii) इस संवर्ग का स्वीकृत बल एवं वेतनमान/वेतनस्तर वहीं होगा, जैसा समय–समय पर इस संवर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

4. **सीधी भर्ती ।–** (i) इस संवर्ग के ईख पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती से होगी।

(ii) प्रत्येक वर्ष 1 ली अप्रैल को कोटि में स्वीकृत पदों के विरूद्ध सीधी नियुक्ति के लिए रिक्त पदों की गणना की जायेगी और 30 अप्रैल तक रिक्तियों की आरक्षण कोटिवार अधियाचना विभाग द्वारा, सक्षम प्राधिकार के माध्यम से, आयोग को प्रेषित कर दी जाएगी।

(iii) **शैक्षणिक योग्यता** :– सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान/केन्द्रीय विश्वविद्यालय (कृषि संकाय) से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होगी।

(iv) **उम्र सीमा** :– आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के पहली अगस्त को न्यून्तम आयु 21 (इक्कीस) वर्ष होगी और अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए समय–समय पर विनिश्चित की जाय।

(v) **आरक्षण** :– सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए, समय–समय पर, अवधारित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।

(vi) प्रतियोगिता परीक्षा के विषय तथा पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा विभाग के परामर्श से किया जायेगा।

5. परिवीक्षा ।–

(i) सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त प्रत्येक सदस्य पदग्रहण की तिथि से एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेगा। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर इसे अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से एक और वर्ष तक विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषप्रद नहीं पाया जाय तो ऐसे सदस्यों की सेवा समाप्त की जा सकेगी।

6. प्रशिक्षण ।– बिहार ईख पर्यवेक्षक संवर्ग में नियुक्त सदस्यों को बिहार सरकारी सेवकों की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024 में यथानिर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

7. विभागीय परीक्षा ।–सीधी भर्ती से नियुक्त सदस्यों को केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा यथानिर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा विभाग के परामर्श एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से किया जाएगा।

8. सम्पुष्टि ।– परिवीक्षा अवधि पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने, विनिश्चित प्रशिक्षण कार्यकम के संतोषप्रद रूप से पूर्ण किये जाने तथा सेवा स्वच्छ पाये जाने पर सीधी नियुक्ति के सदस्यों की सेवा संपुष्ट की जाएगी।

9. वरीयता का अवधारण ।–सदस्यों की वरीयता का अवधारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित नीति के आलोक में की जाएगी।

10. प्रकीर्ण ।–

(i) इस नियमावली के नियमों का निर्वचन विभाग द्वारा, आवश्यकतानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, विधि विभाग अथवा वित्त विभाग के परामर्श से, किया जा सकेगा।

(ii) विभाग, विधि विभाग के परामर्श से, इस नियमावली के किसी नियम को लागू करने में आने वाली कठिनाई का निराकरण, राजपत्र में समुचित आदेश, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, के प्रकाशन द्वारा, कर सकेगा।

(iii) जिन विषयों का प्रावधान इस नियमावली में नहीं किया गया है, उनके सम्बन्ध में समकक्ष स्तर के कर्मियों के लिए राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत

संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश में किये गये प्रावधान इस सेवा के संदर्भ में लागू माने जायेंगे।

11. <u>निरसन एवं व्यावृति</u>।–

(i) इस संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति/सेवा शर्त संबंधी पूर्व में निर्गत सभी परिपत्र/अनुदेश/ संकल्प एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व निर्गत परिपत्र/अनुदेश/संकल्प के अधीन किया गया कुछ भी, या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया, या की गयी समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन वैसा कुछ किया गया या वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(नर्मदेश्वर लाल)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था०क्षे०–492/2025– पटना, दिनांक– सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि–ई–गजट प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को अतिशीघ्र भेजने का कष्ट करें।

ह0/–
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था०क्षे०–492/2025– पटना, दिनांक– सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–3/एम०–03/2025 सा०प्र०–16492 दिनांक–02.09.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था०क्षे०–492/2025– पटना, दिनांक– सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था०क्षे०–492/2025–1452 पटना, दिनांक–15 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि– राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।